भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

प्रेस विज्ञप्ति

नई दिल्ली, दिनांक 25 जुलाई, 2014

विषयः खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) का पुनरूद्धार करना।

सरकार ने 24 जुलाई, 2014 से खादी ग्रामोद्योग आयोग को भंग कर दिया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष सहित सभी सदस्य तत्काल प्रभाव से आयोग के सदस्यों/अध्यक्ष के रूप में अपने पद को रिक्त करेंगे। यह उक्त संस्थान को खादी और ग्रामोद्योग के विकास और संवर्धन के लिए व्यावसायिक रूप से और सक्षम, प्रभावशाली तथा कार्यकुशल निकाय बनाने के लिए तथा ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के और ज्यादा अवसरों का सृजन हेतु इसका पुनरूद्धार करने के लिए किया गया है।

2. 24 जुलाई, 2014 को भंग होने से पहले वे सभी सम्पत्तियां और निधियां जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अधिकार में थीं अब केंद्र सरकार के अधिकार में होंगी।